बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website: scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019- 895/311.1791 दिनांक- 06/08/2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कला संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (ZC-2) के अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक और आमोद-प्रमोद कार्यक्रमों एवं खेल-कूद गतिविधियों में समुचित भागीदारिता व इस हेतु प्रोत्साहन से जुड़े प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-29 (संस्कृति और आमोद-प्रमोद)		समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, सभी दिव्यांगजनो के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और अन्य व्यक्तियों के समान आमोद–प्रमोद गतिविधियों मे भागीदारी के उपाय करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:– (क) दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को उनको अभिरूचि और प्रतिभा को बढाने के लिए सुविधा सहायता और प्रायोजन; (ख) दिव्यांगता इतिहास संग्रहालय की स्थापना जो दिव्यांगजनों के ऐतिहासिक अनुभवों को लिपिबद्ध और उनका निर्वचन करते है; (ग) दिव्यांगजनों तक कला को सुगम बनाना; (घ) आमोद–प्रमोद केन्द्रो और अन्य सामाजिक गतिविधियों का संवर्धन करना'; (ड.) बालचर, नृत्य, कला कक्षाएं, बाहरी कैंप और रोमांचक गतिविधियों में शगीदारी को सुकर बनाना; (च) दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए संस्कृतिक और कला विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः डिजाइन करना; (छ) आमोद–प्रमोद गतिविधियों में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और उनको सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सहायक युक्तियां और उपस्करों का विकास करना; और (ज) सुनिश्चित करना कि श्रवणशक्ति के हास के व्यक्ति सांकेतिक भाषांतरण या उपशीर्षक सहित टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच कर सकें।

धारा-30 (खेल-कूद गतिविधियाँ)		(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों की खेलकूद गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी क सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। (2) खेलकूद प्राधिकारी खेलकूदों में भागीदारी के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों को सम्यक मान्यता देंगे और उनकी खेलकूद प्रतिभा के संबर्धन और विकास के लिएअपनी स्कीमो और कार्यक्रमो में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने के लिए सम्यक उपबंध करेंगे। (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकार और खेल प्राधिकारी निम्नलिखित उपाय करेगे– (क) सभी खेलकूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की पहुंच समावेशन और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पुनसंरचना; (ख) दिव्यांगजनों के लिए सभी खेलकूद गतिविधियेा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पुनः डिजाइन और उसमें सहायता; (ग) सभी दिव्यांगजनों के लिए अंत शक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और योग्यता बढाने के लिए तकनीक का विकास; (घ) सभी दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी खेलकूद गतिविधियों में बहुसंवेदी आवाश्यकताएं और विशेषताएं प्रदान करना; (ड.) दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक खेलकूद सुविधाओं के विकास के लिए निधियों आवंटन करना; (च) दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद आयोजनों को संबर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।
"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।		

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जो दिव्यांगजनों को सांस्कृतिक एवं आमोद-प्रमोद सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा खेल-कूद गतिविधियों में भागीदारी हेतु समर्थ बनाने, संवर्धित करने एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं किये जाने तथा उनके अनुप्रयोग करने से जुड़े हैं एवं इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन तथा तंत्र के प्रत्येक स्तर पर इससे सम्बन्धित अर्थात सांस्कृतिक एवं आमोद-प्रमोद सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा खेल-कूद गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की माँग करती है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, नियोजन हेतु पर्याप्त अवसरों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उसका निमित्त हेतु अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाय। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई जिलावार प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। समर्पित जिलावार प्रतिवेदन के आधार पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय द्वारा जिलावार आयोजित समीक्षा बैठक-सह-चलन्त न्यायालय के दौरान उक्त समर्पित प्रतिवेदनों के आधार पर यथाआवश्यक पूरक कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन
06.08.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-895/311.नि0 दिनांक-06/08/2019

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

08.08.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-895/311.नि0 दिनांक-06/08/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08.08.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-895/311.नि0 दिनांक-06/08/2019

प्रतिलिपि:-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

08.08.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।